# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

**बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.**

*मुकदमा सं. 29/2021*

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। | | 1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री भीखाजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।<br>2. श्री गणेशराम पुत्र श्री तोलाजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।<br>3. श्री रूपाराम पुत्र श्री लाखाजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।<br>4. श्री चेलाराम पुत्र श्री पुनमाजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।<br>5. श्री अमृतलाल पुत्र श्री गोपालजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।<br>6. श्री जगदीश पुत्र श्री सीतारामजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।<br>7. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। |

## रिव्यू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज. पंचायतीराज अधिनियम, 1994

**उपस्थितिः–**

1. श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश कुमार सुराणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से छः की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

## निर्णय

दिनांकः 13.12.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97(3) के तहत् इस न्यायालय के पंचायत निगरानी मुकदमा संख्या 123/2012 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2021 पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक से छः की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा जरिये वकालातनामा के उपस्थिति दी [illegible] जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:40:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री [illegible] अपनी बहस में निवेद[illegible] गया कि दिनांक 25.03.2021 को पारित निर्णय में त्रुटि की गई है। प्रार्थी द्वारा [illegible] किया गया कि उक्त निगरानी अप्रार्थी संख्या एक से छः ने जो पट्टा निरस्ती बाबत प्रस्तुत की थी, वो व्यथित पक्षकार नहीं है एव न ही पट्टा शुदा भूमि जो सार्वजनिक गली की भूमि

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

है बल्कि उक्त भूमि कभी गली की नहीं रही है एवं न ही गली का कोई अस्तित्व ही है। यह है कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जिसमें केवल मात्र यह लिखते हुए कि श्री तोलाराम पुत्र श्री लाखाजी के विक्रय विलेख के चतुर्दशी में पानी की निकासी की गली दर्शाई है एवं निर्माण स्वीकृति में गली बताई है, उसको स्वीकार प्रार्थी का पट्टा निरस्त किया है, जो न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को पट्टा इसी आधार पर जारी किया गया था कि इसी भूमि का पट्टा सिरोही रिसासतकालीन समय का पट्टा संख्या 374 दिनांक 26.05.1935 को प्रार्थी के पूर्वजों के नाम से जारीशुदा है, लेकिन सिरोही रियासतकालीन का पट्टा विलेख निगरानी के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी द्वारा घर में काफी ढूंढने पर भी उक्त पट्टा विलेख नहीं मिल सका, जबकि पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर मकान बने हुए है, जो काफी जर्जर व खण्डहर हो चुके है। यह है कि प्रार्थी द्वारा अपने भाईयों से काफी पूछताछ करने पर सिरोही रियासतकालीन समय का पट्टा विलेख प्राप्त हो चुका है जो पूर्व में नहीं मिलने से श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सका, जो सिरोही रियासतकालीन समय का पट्टा प्रार्थी के पूर्वजों के नाम से आया हुआ है और इसी स्थान पर प्रार्थी का निवास है। इससे स्पष्टताया जाहिर है कि प्रार्थी की पट्टे शुदा भूमि है जो गली की भूमि नहीं होकर रहवासीय भूमि है। केवल मात्र विक्रय विलेख में गलत चतुर्दशी लिखने के आधार पर गली की भूमि नहीं हो जाती है, जबकि प्रार्थी के पूर्वजों के नाम का जारी पट्टा विलेख संख्या 26.05.1935 को चीफ मिनिस्टर राज. सिरोही व रेवेन्यू कमिश्नर द्वारा पट्टा जारी शुदा है एवं उक्त निगरानीकर्ता ने कोई दस्तावेज पेश किए है तो वो बाद के है एवं सिरोही रियासतकालीन पट्टे को चुनौती नहीं दी जा सकती है। श्रीमान न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे पर गौर नहीं किया एवं न ही गहराई से अध्ययन किया है। निगरानीकर्ता न्यायालय के समक्ष जो निगरानी लेकर आए है, उसका प्रार्थी के मकान के आस–पास कोई मकान ही स्थित नहीं है एवं न ही प्रार्थी व्यथित व्यक्ति है। न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को गौर नहीं करते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या एक से छः के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2021 को निगरानी संख्या 123/2012 में वैध रूप से परिक्षण कर निर्णय पारित किया गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 374 दिनांक 26.05.1935 का प्रश्नगत भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है एवं माननीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का विवेचन एवं विश्लेषण कर आलोच्य निर्णय दिनांक 25.03.2021 को पारित किया गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन में जो तथ्य दर्शाए है, वे तथ्य रिव्यू की परिभाषा में नहीं आते है। माननीय न्यायालय ने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि उक्त निर्णय पारित करने में नहीं की है। यह है कि प्रार्थी को रिव्यू आवेदन में नए सर प्रलेख प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे प्रार्थी द्वारा रिव्यू आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए प्रलेख पर किसी प्रकार का गौर किया जाना मुनासिब नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा यह रिव्यू आवेदन मय खर्चा खारिज करना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:40:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । अप्रार्थी संख्या एक से छः के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 123/2012 में दिनांक 25.03.2021 को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया था, जिसमें में भी यह स्पष्ट किया गया है कि श्री तोलाराम पुत्र श्री लाखाजी द्वारा खरीद की भूमि के पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.06.1968 में वर्णित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में पानी की निकासी की गली अंकित है एवं ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा आपत्ति नोटिस में भी उक्त गली को दर्शाया गया है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2021 को निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिससे प्रार्थी श्री मनोहरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिडा का उक्त विवादित भूखण्ड पर एक वर्ष से पुराना कब्जा साबित होता हो एवं न ही उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा सिरोही रियासतकालीन पट्टा संख्या 374 दिनांक 26.05.1935 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि उक्त पट्टा प्रार्थी के पूर्वजों के नाम से जारी किया हुआ है, जो पूर्व में नहीं मिलने से श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सका एवं जो सिरोही रियासतकालीन समय का पट्टा प्रार्थी के पूर्वजों के नाम से आया हुआ है, इसी स्थान पर प्रार्थी का निवास है। चूंकि प्रार्थी द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र धारा 97(3) के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूल निर्णय में कोई भूल अथवा त्रुटि जो पत्रावली के देखने मात्र से प्रकट हो, को ही रिव्यू के माध्यम से सुधारा जा सकता है। अपील की भांति नही सुना जा सकता है एवं न ही नए दस्तावेजों को शामिल किया जा सकता है। अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित मूल निर्णय में कोई भूल होना नही पाया जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिव्यू पीटीसन नम्बर 122 से 125/1998 राजस्थान सरकार बनाम मैसर्स भारती कन्सट्रक्सन में यह अभिमत किया गया है कि **"Civil Procedure Code, 1908-Sec. 114 & O.47,R. 1- Scope of review ? Order made on account of some mistake or error apparent on the face of the record are significant- The Court will not act as an appellate Court to hear such a pet ition or will re- appreciate the argument.,,** उक्त विधिक दृष्टिांत की सम्मान पूर्वक पालना करते हुए प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Bhlw

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:40:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner